स0सं0–07/विविध–28–56/2021–22 - 347(7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वाराः– सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 30/09/2026

विषयः– **बिहार राज्य में अगले 5 (पाँच) वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक) के लिए कुल राशि रु० 300 करोड़ (तीन सौ करोड़ रुपये) के अनुमानित लागत के साथ "मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना" को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में द्वितीय किस्त के रूप में रू० 6,40,00,000/–(रूपये छः करोड़ चालीस लाख) मात्र व्यय निमित विमुक्ति की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य में अगले 5 (पाँच) वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक) के लिए कुल राशि रु० 300 करोड़ (तीन सौ करोड़ रुपये) के अनुमानित लागत के साथ "मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थयोजना" को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या–104(7), दिनांक–11.07.2022 द्वारा प्रदान की गयी है।

2– इस योजना हेतु अब तक आवंटित की गयी राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 में)	व्ययादेश सं0/आवंटनादेश सं0 एवं दिनांक
1	2022–23	91,00,00,000/–	सं0–216(7), दिनांक–28.09.2022 एवं शुद्धि पत्र संख्या–223(7), दिनांक–10.10.2022
2	2022–23	9,00,00,000/–	सं0–453(7), दिनांक–13.02.2023
3	2024–25	17,55,90,000/–	सं0–76(7), दिनांक–19.06.2024
4	2024–25	36,57,00,000/–	सं0–99(7), दिनांक–11.07.2024
5	2025–26	20,98,00,000/–	सं0–152(7), दिनांक–16.07.2025
6	2026–27	6,60,00,000/–	सं0–270(7B), दिनांक–25.06.2026
कुल योग–		**1,81,70,90,000/–**	

3– यह कार्य राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0–104(7), दिनांक–11.07.2022 में निहित्त शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

4– राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना द्वारा किये गये मांग के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में उक्त योजना हेतु द्वितीय किस्त के रूप में रू० 6,40,00,000/–(रूपये छः करोड़ चालीस लाख) मात्र की व्यय निमित विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5– इस पर होने वाले व्यय का वहन माँग संख्या–20 मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–ऐलोपैथी–लघु शीर्ष–103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–उपशीर्ष–0103–स्वास्थ्य केन्द्रों का जीर्णोद्धार–सात निश्चय–2 विपत्र कोड–20–2210031030103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 28–04 व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ मद में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

6— इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7— अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0—PBBPLA011 विपत्र कोड—00-8448001200027-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

8— राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना इस राशि का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) एवं व्यय के सुसंगत भावचर्स/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को सुलभ करायेंगे ।

9— राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561 वि0(2), दिनांक—17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक—27.11.2007, 3758/वि०, दिनांक—31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक—03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

10— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

11— प्रारूप में सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—07/विविध—28—56/2021—22 के पृष्ठ—65/टि0 में प्राप्त है।

12— प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

13— संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30/9/26

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—07/विविध—28—56/2021—22-347/वि0, पटना दिनांक—30/09/2026

प्रतिलिपि—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/9/26

सरकार के अपर सचिव।